


(0

24.07-23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा नोट पेश कर प्रायोजन खातिज करने का निवेदन किया गया। मता प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नोट पेश के बावजूद पर इसी स्तर पर खातिज किया जाता है। पत्रावली बाद तुरंत तकमील होकर दाखिल दफ्तर में निर्णय लिया जाकर उसे न्यायालय में सुनाया गया।


(अमिता बिशोई)
R.A.S

1/0/23


2-
